<u>पिछले एक वर्ष (मई, 2020) के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रमुख निर्णयों / पहल / उपलब्धियों का सार</u>

1. विधायी उपलब्धियां

लोक सभा की बैठकों की संख्या : 80
राज्य सभा की बैठकों की संख्या : 78

पुर:स्थापित किए गए विधेयक :-
लोक सभा में : 69
राज्य सभा में : 08

पारित किए गए विधेयकों की संख्या :
लोक सभा द्वारा : 64
राज्य सभा द्वारा : 60

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए और अधिनियम का रूप ले चुके विधेयक: 57

(प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 14वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभाओं की सदृश अवधियों के मुकाबले क्रमश: 23%, 30% और 18% अधिक विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए।)

20 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए जिनमें से इस अवधि के दौरान 14 को संसद के अधिनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

राज्य सभा में स्पष्ट बहुमत न होते हुए भी बेहतर सदन प्रबंधन द्वारा सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण विधान पारित कराए गए।

<u>ऐतिहासिक पहला सत्र</u>

17वीं लोक सभा का पहला सत्र ऐतिहासिक रहा क्योंकि इस सत्र में संसद के दोनों सदनां द्वारा 30 विधेयक पारित किए गए जो एक नई लोक सभा के गठन के पश्चात एकेले पहले और कारगर सत्र में एक रिकार्ड है।

अनुच्छेद 370 और राष्ट्रपति के आदेशों से कुछ प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निरस्त कर दिया गया था, विशेष रूप से भारत के संविधान के प्रावधानों की प्रयोज्यता की बहाली और सभी सामाजिक-आर्थिक विधान जिससे कानून और समानता का शासन सुनिश्चित होता है।

2. केंद्रीय कक्ष में समारोह

संविधान को अंगीकार करने की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 26 नवंबर, 2019 को संसद के केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों के एकत्र सदस्यों के लिए एक विशेष समारोह आयोजित किया गया।

3. युवा संसद प्रतियोगिताएं

कार्यक्रम के प्रत्याशित प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिए रा.स. टीवी की सहायता से युवा संसद पर शैक्षणिक वीडियो तैयार किया गया।

युवा संसद (ऑफलाइन) :

कवर किए गए संस्थानों की संख्या - 271

विद्यार्थियों की प्रतिभागिता - 14200

देश के अछूते वर्गों और क्षेत्रों तक युवा संसद कार्यक्रम को विस्तारित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल आधारित राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम (एनवाईपीएस) की कल्पना की गई।

माननीय उप-राष्ट्रपति, माननीय प्रधान मंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री की उपस्थिति में 26 नवंबर, 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया।

अभी तक एन.वाई.पी.एस. पोर्टल पर पूरे देश की विभिन्न संस्थाओं से 4370 पंजीकरण प्राप्त हुए हैं और जिनमें से अभी तक 1260 पंजीकरण अनुमोदित किए जा चुके हैं।

4. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)

नेवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक मिशन मोड परियोजना है जिसका उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के कामकाज को कगज रहित बनाना है।

परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

नेवा पब्लिक वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन दोनों विकसित की गई हैं और यह प्लेटफार्म राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में लागू किए जाने के लिए तैयार है।

केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू), राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण हेतु 24 कार्यशालाएं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र संचालित कर चुका है।

बिहार विधान परिषद जुलाई, 2019 में मानसून सत्र के दौरान नेवा के माध्यम से ऑनलाइन प्रश्नों को अपनाने वाला देश में पहला सदन बन गया है।

विधानमंडलों के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अरूणाचल प्रदेश विधानसभा और बिहार विधान परिषद में भी आयोजित किए गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय अभी तक 4 विधायी सदनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुका है।

दूसरे राज्यों के विधानमंडलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और परियोजना का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है।

5. परामर्शदात्री समितियां

परामर्शदात्री समितियां गठित की गई : 37

आयोजित बैठकों की संख्या : 26

6. प्रशिक्षण / कार्यशालाएं

17 जुलाई, 2019 को संसदीय सौध, नई दिल्ली में सहायक सचिवों (2017 बैच के नए आईएएस अधिकारी) के लाभार्थ संसदीय प्रक्रिया और पद्धति में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

दिनांक 04.08.2019 को अणुशक्ति भवन, मुंबई में परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लाभार्थ संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

7. आश्वासन

निकाले गए आश्वासन :

लोक सभा : 796

राज्य सभा: 707

पूरे किए गए आश्वासनों की संख्या :

लोक सभा: 499

राज्य सभा: 474

8. लोक सभा में नियम 377 और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के तहत उठाए गए मामले

मामलों की संख्या :

लोक सभा : 1302

राज्य सभा :373

निपटाए गए मामले :

लोक सभा : 413

राज्य सभा : 103

9. शून्यकाल के मामले

लोक सभा में उठाए गए मामले : 1929

(सभी लोक सभाओं के उन्हीं वर्षों की तुलना में अधिकतम)

राज्य सभा में उठाए गए मामले : 788

10. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन

कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से उत्पन्न आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों में निम्नलिखित कटौती की गई है:-

- वेतन को रू.1,00,000/- से घटाकर रू.70,000/- किया गया।
- निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ते को रू.70,000/- से घटाकर रू.49,000/- किया गया।
- लेखन सामग्री संबंधी भत्ते को रू.20,000/- से घटाकर रू.14,000/- किया गया।

11. प्रकाशन – निकाले गए नए संस्करण

भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तक को संशोधित किया गया और जुलाई, 2019 के दौरान जारी किया गया।

संसदीय कार्य मंत्रालय की सांख्यिकीय पुस्तिका को अगस्त, 2019 के दौरान संशो धित किया गया।

संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यचालन संबंधी हैंडबुक को सितंबर, 2019 के दौरान संशोधित किया गया।

***